कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

//आदेश//

क्रमांक/ 5803/मान्यता/अनुमति/2020–21 सूरजपुर दिनांक 20/1/2021

प्रबंधक,

बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप–नियम (4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

आपका आवेदन पत्र दिनांक **25/05/2020** के संदर्भ में और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त **अक्षर द स्कूल संजयनगर, महाबीरपुर, वि.ख.–सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)** को कक्षा **नर्सरी** से **8वीं** तक के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए जो **01/04/2019** से **31/03/2021** तक प्रभावशील रहेगा, **(सशर्त)** अस्थाई मान्यता/अनुमति/नवीनीकरण प्रदान किया जाता है–

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन है–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 विद्यालय के लिए बन्धनकारी रहेगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1ली की दर्ज संख्या तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि–

   (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।

   (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।

   (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।

   (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

   (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।

   (vi) शिक्षक कानून के खण्ड 23 (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम सहित नियुक्त किए जाते हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।

   (vii) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्ते कानून के खण्ड 23 (3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उप नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।

   (viii) शिक्षक कानून के खण्ड 24 (1) के तहत विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

8. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
9. विद्यालय कनून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासयी उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
14. लेखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेन्ट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नम्बर **129** है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए।
16. विद्यालय समय समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तो की सतत पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।

अन्य शर्तो एनेक्सर के अनुसार संलग्न

जिला शिक्षा अधिकारी
सूरजपुर

पृ0क्रमांक/ 5804/मान्यता/अनुमति/2020–21 सूरजपुर दिनांक 20/1/2021

प्रतिलिपिः–

1. संयुक्त संचालक, सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. नोडल प्राचार्य, शा.उ.मा.विद्यालय अजबनगर, वि.ख.–सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सहा. विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, वि.ख.–सूरजपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी
सूरजपुर